

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-2013/2010/जयपुर

मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड,  
दुर्लभ निवास, पृथ्वीराज रोड़, सी-स्कीम, जयपुर  
बनाम

....अपीलार्थी

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर  
खण्डपीठ

.....प्रत्यर्थी

श्री राजीव चौधरी, सदस्य  
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा

अभिभाषक

श्री सितांशु शर्मा

उप राजकीय अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से.


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 29.06.2018

निर्णय

1. उक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी पंचम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 155/अपी.-II/08-09/जे.पी.बी. आदेश दिनांक 24.05.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25(1) के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की चतुर्थ तिमाही के पारित आदेश दिनांक 02.08.2008 द्वारा आरोपित कर रूपये 8,51,190/-, शास्ति अन्तर्गत धारा-61 रूपये 17,03,380/- एवं ब्याज रूपये 36,235/- विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने कर, ब्याज व शास्ति को यथावत रख अपील को अस्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.05.2010 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।
2. उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की फर्म का दिनांक 18.06.2008 को सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि अपीलार्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि में "ब्राण्डेड बिंगो चिप्स" की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है, जबकि ब्राण्डेड नमकीन की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाना चाहिए। सशक्त अधिकारी द्वारा बिंगो चिप्स को "ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स" मानते हुए इसे सामान्य कर दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना माना है तथा इसकी बिक्री पर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं इस कर पर अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा 8.5 प्रतिशत की दर से कर का अपवंचन किया जाना मानकर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण भी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तहत सशक्त

am



लगातार.....2.



अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2008 के तहत आरोपित उक्त कर, शास्ति व ब्याज को विवादित किया गया। अपीलीय अधिकारी ने ब्राण्डेड पोटेटो चिप्स की कर दर 12.5 प्रतिशत होना अवधारित करते हुए अन्तर कर, ब्याज व शास्ति को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की है। उक्त अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उसका उत्पाद बिंगो पोटेटो चिप्स अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है, जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे उक्त प्रविष्टि के तहत न मानकर अनुसूची V में मानते हुए 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी है तथा 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर की राशि, शास्ति व ब्याज आरोपित किया गया, जिसे अवैध बताते हुए तर्क किया कि उसका उत्पाद प्रोसेस्ड वेजिटेबल है तथा फ्रूट जैम, जैली, अचार आदि को उक्त प्रविष्टि के अनुसार प्रोसेस्ड फूड में माना गया है तो उसके द्वारा उत्पादित पोटेटो चिप्स Valid भी preserved vegetables होने से प्रविष्टि संख्या अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है एवं तदानुसार ही अपीलार्थी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाकर जमा कराया गया है।
5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन रह है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 199/2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 में अभिनिर्धारित किया है कि पोटेटो चिप्स Processed Vegitable की श्रेणी में आने से अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त धारा 55 में आरोपित ब्याज व धारा 61 में आरोपित शास्ति को अविधिक बतलाते हुए उन्हें अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी एवं निर्धारण अधिकारी के आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
6. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि आन्ध्रप्रदेश के वेट अधिनियम व राजस्थान वेट अधिनियम की प्रविष्टियों में एक समानता नहीं हैं। राजस्थान वेट अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में Unbranded Potato Chip को सम्मिलित किया है जिसपर बिक्री की दर 4 प्रतिशत है जिसका यह आशंय है कि विधायका Potato Chip को केवल इसी प्रविष्टि में रखना चाहती है। विधायका द्वारा Branded Potato Chip को वेट अधिनियम की अनुसूची IV से पृथक किया गया है यदि विधायका का यह आशंय नहीं होता तो अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 131 में Potato Chip के संबंध में Unbranded शब्द

लगातार.....3.



का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे यह स्पष्ट है कि Branded Potato Chip को अनुसूची IV की अवशेष (residual) वस्तुओं के अन्तर्गत आता है। इसलिये Branded Potato Chip पर विधायका का 4 प्रतिशत की दर से करारोपण का आशय नहीं है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा पोटेटो चिप्स (Bingo) का विक्रय किया है तथा अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया है। जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 131 के सम्मुख विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार 12.5 प्रतिशत मानकर कर का आरोपण किया गया है।
9. इस क्रम में राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 के सिड्यूल चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 एवं 131 को यहा उद्धरित किया जा रहा है, जो इस प्रकार है:-  
 "107. Processed or preserved vegetable and fruits including fruit jem, jelly, pickle, fruit squash, paste, fruit frink and fruit juice, sharbat and thandai."  
 "131. Sweatment (Deshi) and unbranded namkeen including dried potato chips"
10. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199/2009 पेप्सिको इण्डिया होल्डिंग प्रा. लि. जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 31.03.2017 द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पोटेटो चिप्स अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के तहत Processed Vegetables की श्रेणी में आती है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के सुसंगत पैरा संख्या 19, 20, 22 एवं 25 का उल्लेख किया जाना समीचीन है जो निम्न प्रकार है:-  
 (19) After analyzing the judgment referred to here in before, in my view, it cannot be disputed that Potato is a vegetable and after going through the process of slicing, frying and spicing, "Potato Chips" does not cease to be a vegetable. It is irrelevant as to whether it becomes a snack item or not, but then it does not take a snack item outside the entry of Processed Vegetables of Potato dees not change and merely because by processing Potato, "Potato Chips" are producedh manufactured, will certainly remain as Potato and would be a "Processed Vegetable."  
 (20) Material is available the Ministry of Food Processing Industry has understood processing of Poraro Wafers or Chips as vegetable Processing Industry and even the Govt. of India has understood "Potato Chips" to be a vegetable Product for the purposes of classification under the Central Excise Tariff Act.

2017

*[Handwritten Signature]*

लगातार.....4.




(22) Analysing the above, "Potato chips" can certainly be taken within the definition of 107 taking within its compass all other species including "Potato chips" belonging to the common genus of the Processed Vegetables', and if any particular item is classifiable under a specific entry in Schedule, such item commodity must not be relegated to the Residuary or entry. Even if common parlance test is applied, it can always be noticed that it would certainly fall within the category of Processed vegetables'.

(25) In the light of this fact that in the earlier assessment years for the same product the claim of Revenue was accepted by this court to fall 'Potato Chips' in the category of 'Preserved Food Articles', and now when the assessee claims to be falling in the category of 'Processed Vegetables', which in my opinion, is identical, different view cannot be taken and even the Revenue ought not to have taken divergent view on the same product in the different assessment year.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि व्यवहारी का Potato Chips को Processed Vegetables की श्रेणी में आने का Claim उक्त समान उत्पादों में पूर्व में अन्य प्रकरणों में राजस्व के उस Claim के समान है कि Potato Chips 'Preserved Food Articles' की श्रेणी में आता है और पूर्व के प्रकरणों में राजस्व के उक्त Claim को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। उपरोक्त समस्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के इस न्यायिक दृष्टांत एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन 199/2009 से पूर्णतया आच्छादित है एवं इसमें Potato Chips को अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 में माना गया है। अतः समान तथ्यों पर आधारित उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार वर्तमान प्रकरण में ब्रांडेड Bingo पोटेटो चिप्स अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत Processed Vegetables की श्रेणी में आता है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करके जमा करवाया गया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर ब्रांडेड पोटेटो चिप्स अधिनियम के सिड्यूल IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आने से कर दर 4 प्रतिशत अवधारित करते हुए सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।
12. निर्णय सुनाया गया।

न.क.र. —  
(नत्थूराम)  
सदस्य

  
(राजीव चौधरी)  
सदस्य